

## प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, नोडखाल माला किमी 7 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई-12.050 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं रथायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 270 से अधिक आवादी वाले असंयोजित वसायटों (741) को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या: 1760/P3-14/URRDA/09, Dated :14/12/2009 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। ( शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है )

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वसायट कोटा की आवादी 741 है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कारतकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से वेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 1.050 है०, मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य है०, कुल आरक्षित वन भूमि 1.050 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०, नाप भूमि 4.500 है०, एवं सिविल सोयम भूमि 4.955 है एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 1.46 है०, कुल सिविल सोयम भूमि 4.955 है०, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत रावेष्टण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डेक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त गो ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का गूणजानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगमीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 12.050 कि०मी० लम्बाई में ग्रामीण विकास विभाग के गानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि 1.050 है०, मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०, सिविल सोयम भूमि 4.955 है० एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 1.46 है० अर्थात कुल 11.965 है० प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्रामीण विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

*Vikram*

Assistant Engineer, NPCC Ltd.  
PMGSY Works, Dugadda  
Distt. Pauri Garhwal (Uttarakhand)

*Jugindar Singh*  
PIU  
NPCC  
PMGSY, DUGADDA  
PAURI GARHWAL (UK)

*S*  
Dy. Director  
प्रभाग प्रबंधकारी  
Rajaji Tiger Reserve  
Dehradun